ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संख्याः सम्पत्ति / का.आ. / 2013 / OPA No.-32334
दिनांकः 26 जून 2013

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के 95वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27 मई 2013 के मद संख्या 31 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों के आबंटियों को उनकी परिसम्पत्तियों के विरूद्ध अतिदेय धनराशियों (defaulted amounts) के भुगतान हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन रि-शिड्यूलमेंट की सुविधा अनुमन्य होगी--

1. यह सुविधा सभी प्रकार की परिसम्पत्तियों के आवंटियों की सम्बन्धित योजना के ब्रोशर आवंटन पत्र एवं पट्टा प्रलेख में उल्लिखित शर्त अन्यथा होने की दशा में भी अनुमन्य होगी ।

2. परिसम्पत्ति के आवंटी/पट्टा धारको को आवंटित भूखण्ड की भुगतान योजना में डिफाल्ट धनराशि पर दण्डात्मक ब्याज की गणना करते हुए अवशेष धनराशि को कैपिटलाइज (Capitalised) किया जोयगा। कैपिटलाइज (Capitalised) धनराशि पर दण्डात्मक दर से ब्याज लगाकर छमाही समान किश्तों में पुर्ननिर्धारण इस प्रकार किया जोयगा कि पुर्ननिर्धारित धनराशि के भुगतान के लिए अधिकतम अवधि आवंटित भूखण्ड की योजना की मूल (Original) भुगतान अवधि के दोगुना से अधिक नही होगी, जिसकी गणना मूल (Original) आवंटन की तिथि से की जायेगी। किसी भी दशा में पुर्ननिर्धारण किश्तों की अदायगी की अवधि मूल (Original) आंवटन की तिथि से 10 वर्षो से अधिक नही होगी।

3. भविष्य में देय धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा आवंटन / पट्टा प्रलेख में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. उपरोक्त के अनुसार पुर्ननिर्धारित किश्तों में पुनः डिफाल्ट होने की दशा में डिफाल्टेड धनराशि पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत छमाही चक्रवृद्धि दण्डात्मक ब्याज लिया जायेगा।

5. उपरोक्त वर्णित (Capitalised) धनराशि मे केवल किश्तों की देयता एवं किश्तों पर देय ब्याज की धनराशि ही सम्मिलित की जायेगी अर्थात अन्य राजस्व मदों में देय राशि जैसे-भू-भाटक, भू-भाटक पर ब्याज, अर्थदण्ड, समयवृद्धि शुल्क इत्यादि की देयता (Capitalised) धनराशि में सम्मिलित नही की जायेगी। राजस्व मद में देय धनराशियों का भुगतान आवंटी को रि-शैडयूलमेंट सुविधा दिये जाने से पूर्व जमा करानी होगी।

6. रि-शैडयूलमेंट की सुविधा केवल एकबार ही उपलब्ध करायी जायेगी अर्थात रि-शैडयूलमेंट की सुविधा एकबार उपलब्ध कराने के पश्चात पुनः रि-शैडयूलमेंट की सुविधा नही दी जायेगी।

7. रि-शैडयूलमेंट की सुविधा केवल उन्हीं आवंटियों को अनुमन्य करायी जायेगी जिन्होनें परिसम्पत्ति का पट्टा प्रलेख कराकर कम से कम दो देय किश्तों का भुगतान कर दिया हो।

8. रि-शैडयूलमेंट की यह सुविधा आगामी छः माह (दिनांक 28-11-2013) तक ही अनुमन्य होगी।

9. रि-श्यूड्यूलमेंट हेतु आवंटी अपना आवेदन सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे। सम्बन्धित अधिकारी आवेदन का परीक्षण करके महाप्रबन्धक (वित्त) को प्रस्तुत करेंगे। महाप्रबन्धक (वित्त) के अनुमोदन के उपरान्त आवेदनों का परीक्षण गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त शर्तो के अर्न्तगत रि-शैडयूलमेंट की सुविधा हेतु प्राप्त आवेदनो के परीक्षण हेतु एक समिति गठित की जाती है जिसमें सम्बन्धित अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी, महाप्रबन्धक (वित्त), सम्बन्धित परिसम्पत्ति विभाग /योजना के प्रभारी, उप महाप्रबन्धक (वित्त), प्रबन्धक ग्रेड-1(वित्त), सदस्य होंगे। यह समिति प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी।

(रमा रमण)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
3. विशेष कार्याधिकारी, (वाई.वाई.)
4. महाप्रबन्धक (वित्त)/परियोजना/नियोजन/अर्बन सर्विसेज
5. गार्ड फाईल

मुख्य कार्यपालक अधिकारी